न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलजीसीएमएस संख्या 2024/295

1. कृष्णा देवी पत्नी शहीद रामावतार जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. रतनसिंह पुत्र बलदेव जाति अहीर निवासी परतापुर चक न० 01 तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. भाती देवी पत्नी बलदेव जाति अहीर, निवासी ग्राम समस्त परतापुर चक न० 01, तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।
4. जितेन्द्र पुत्र जसवन्त जाति अहीर, निवासी ग्राम समस्त परतापुर चक न० 01, तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।
5. पूनम पुत्री जसवन्त जाति अहीर, निवासी ग्राम समस्त परतापुर चक न० 01, तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।
6. सविता देवी पत्नी जसवन्त जाति अहीर, निवासी ग्राम समस्त परतापुर चक न० 01, तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।
7. ऋषिराज पुत्र जसवन्त जाति अहीर, निवासी ग्राम समस्त परतापुर चक न० 01, तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।
8. उपपंजीयक मांढण जिला अलवर नया जिला कोटपूतली– बहरोड राज0।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अपील निर्णय जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड में पारित निर्णय दिनांक 21/5/2024 उनवानी कृष्णा देवी बनाम तहसीलदार नीमराना बाबत् नामानतकरण संख्या 590 वाके ग्राम परतापुर चक नम्बर 1 तहसील नीमराना को खारिज करते हुये पत्रावली को रिमाण्ड किया जाकर अपीलान्ट की भूमि को सिवायचक दर्ज करने के क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित किये गये।

उपस्थित–

1. श्री प्रेमप्रकाश शर्मा वकील अपीलांट

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड के निर्णय दिनांक 21.05.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 21.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट कृष्णा देवी पत्नी शहीद रामावतार जाति अहीर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड दिनांक 21.05.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट के पति रामावतार भारतीय थल सेना में कार्यरत रहते हुए सन् 1965 में देश की रक्षार्थ शहीद हो गये थे। जिस पर भारत सरकार ने शहीदों के आश्रितों को 25 बीघा कृषि भूमि आंवटन करने के आदेश दिये थे। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपीलान्ट को शहीद रामावतार की वीरांगना होने की सूरत में 25 बीघा के स्थान पर 10 बीघा कृषि भूमि आवंटन की । जो अभीलान्ट को आराजी ख० न० साबिक 300 वाके ग्राम परतारपुर तहसील नीमराना में 10 भीघा कृषि भूमि अलोटमेन्ट की जो अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 16.11.1966 को आराजी ख०न० 300 रकबा 10 बीघा जमीन पर दखल दिया गया। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आराजी पर काफी लागत लगाकर कृषि योग्य बनाई जिस पर लगातार काबिज चली आ रही है। अपीलान्ट विवादित आराजी के हाल ख० न० 442 में कुआ बोरिंग कर बिजली कनेक्शन लेकर एवं बिजली उपकरण के लिए एक कमरा का निर्माण किया है जिस पर बिना रोकटोक काबिज चली आ रही है। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा बिना मौके पर कब्जे की जाँच, बिना अपीलान्ट से पूछताछ, बिना दखल दिनांक 16.11.1966 का अवलोकन के राजस्व रिकार्ड में साबिक ख० न० 300 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा गैर खातेदारी अंकित कर दी जो खिलाफ मौका, खिलाफ कब्जा, खिलाफ दखल दिनांक 16.11.1966 है, तथा उक्त आराजी के हाल खसरा न० 446, 447, 448 कुल किता 03 रकबा 83 एयर की खातेदारी मिन अपीलान्ट के कर दी और खसरा न0 442 रकबा 1.25 है० को सिवायचक दर्ज कर दिया । इस गलत इन्द्राज का नाजायज रूप से फायदा उठाने की मंशा से गैर खातेदारी बाला बाला दर्ज करवा ली और अब रेस्पोडेन्ट स० 01 ने रेस्पोडेन्ट स० 02 से 07 के हक में विवादित आराजी की गैरखातेदारी से खातेदारी का इंतकाल बिना मौके पर कब्जे की जांच व बिना अवलोकन के विधि विरुद्ध स्वीकृत किया गया है। परन्तु अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने राजीनामा की भावनो को समझे बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही खसरा नम्बर 442 की मौका स्थिति की जांच किये बिना ही अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये नामान्तकरण संख्या 590 तो निरस्त कर दिया परन्तु अपीलार्थीया के कब्जे काश्त की प्रश्नाधीन आराजी को सिवायचक करने का अवैधानिक निर्णय पारित कर दिया। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करते हुये रेस्पोडेन्ट के नाम लगा दी गई जो कि अवैधानिक रूप से लगाई गई थी। तहसीलदार ने अपीलाधीन नामान्तकरण अपने क्षैत्राधिकार से बाहर तस्दीक किया गया था नामान्तकरण संख्या 590 दिनांक 10/3/2017 बिना मौका जांच किये और बिना अपीलान्ट को सूचित किये ही बिना दखल दिनांक 16/11/1966 का अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में गैर खातेदारी से खातेदारी अंकित कर दी गई जो गैर कानूनी अवैधानिक रूप से की गई थी, जो निरस्तनीय था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 21.05.2024 को निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम परतापुर के खसरा नं. 442 रकबा 1.25 है0 के इंतकाल संख्या 590 दिनांक 10.03.2017 को गलत बताते हुये अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये।इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं ने यह कथन किया है कि ग्राम परतापुर के खसरा नं. 442 रकबा 1.25 है0 के इंतकाल संख्या 590 दिनांक 10.03.2017 गैरखातेदारी से खातेदारी रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमि से रेस्पो0 को कोई लेना–देना नहीं है ना ही कब्जा–काश्त है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड द्वारा विधिवत् ही उक्त सभी तथ्यों पर गौर व अवलोकन करने की उपरान्त ही इंतकाल संख्या 590 दिनांक 10.03.2017 को निरस्त कर प्रकरण में रेस्पो0 का कब्जा नहीं होने से भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं साथ ही अपीलांट को सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा प्राप्त करने हेतु चाराजोही करने हेतु लिखा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक दिनांक 21.05.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर